© Eureka Journals 2022. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

Shodh International: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
https://www.eurekajournals.com/shodh.html
ISSN: 2581-3501

घरेलू हिंसा-विधिक अध्ययन

ओमेंन्द्र सिंह

सहायक आचार्य, ब्रह्मानंद कालेज, कानपुर।

घरेलू हिंसा (वैवाहिक दुर्व्यवहार, अंतरंग साथी हिंसा, घरेलू मारपीट या पारिवारिक हिंसा आदि) सहवास अथवा विवाह जैसे बंधनों के बाद घरेलू स्तर पर एक साथी का अन्य साथी के साथ मारपीट अथवा दुर्व्यवहार को प्रकट करने वाला शब्द है। कोई भी महिला यदि परिवार के पुरूष सदस्य द्वारा की गई मारपीट अथवा अन्य प्रताड़ना से पीड़ित है, तो वह घरेलू हिंसा की पीड़िता कहलाएगी। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा के विरूद्ध संरक्षण और सहायता प्रदान करता है। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 से प्रवर्तन में है । अधिनियम का उद्देश्य ऐसी महिलाओं के जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी प्रकार की हिंसा से पीड़ित है संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना है। घरेलू हिंसा अधिनियम केवल शादीशुदा महिलाओं के लिए नहीं, अपितु किसी भी महिला पर लागू होता है। बहिन, माता, भाभी इत्यादि रिश्तों से जुड़ी महिलाएं भी इस अधिनियम के अंतर्गत पीड़िता की परिभाषा में आती हैं। कोई भी महिला जो किसी भी पुरुष के साथ घरेलू-सम्बन्ध में रहती है या रह चुकी है और घरेलू हिंसा से पीड़ित है, वह भी इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित है। घरेलू-सम्बन्ध से तात्पर्य दो व्यक्ति, जो एक ही घर में रहते है या रह चुके है और रक्त-सम्बन्ध, विवाह या गोद लिए जाने से सृजित संबंधों का रिश्ता रखते हों। संयुक्त-परिवार, जिसमे सभी एक ही घर में रहते है, वो भी इस परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला भी घरेलू हिंसा के विरुद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकारों की मांग कर सकती है। घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की विस्तृत परिभाषा दी गई है। निम्नलिखित कार्य घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित हैं-

© Eureka Journals 2022. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

शारीरिक हिंसा

कोई ऐसा कार्य या आचरण, जो महिलाओं को शारीरिक पीड़ा, उनके स्वास्थ्य या शरीर को खतरा या महिला के स्वास्थ्य या शारीरिक विकास को हानि पहुँचाताहै, शारीरिक हिंसा माना जायेगा ।

उदाहरणः

- मारपीट करना; या
- थप्पड़ मारना; या
- ठोकर मारना; या
- दांत से काटना; या
- लात मारना; या
- मुक्का मारना; या
- धकेलना; या
- किसी अन्य रीति से शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुँचानाइत्यादि।

लैंगिक हिंसा

कोई ऐसा कार्य या आचरण जो लैंगिक तरीके से महिला का अपमान या तिरस्कार करता हो अथवा महिला की गरिमा को क्षति कारित करता हो, लैंगिक हिंसा के अंतर्गत आयेगा।

उदहारणः

- बलात् लैंगिक मैथुन; या
- अश्लील साहित्य या कोई अन्य अश्लील तस्वीरों को देखने के लिए विवश करना; या
- दुर्व्यवहार करने, अपमानित करने, अपमानित या नीचा दिखाने की लैंगिक प्रवृत्ति के आशय से कोई कार्य करना जो उसकी प्रतिष्ठा की क्षति पहुंचाताहो या कोई अन्य अस्वीकार्य लैंगिक प्रकति का कार्य करता हो।

मौखिक और भावनात्मक हिंसा

महिला का अपमान, उपहास या तिरस्कार करना और लड़का या संतान न होने को लेकर अपमानित करना या उपहास करना मौखिक एवं भावनात्मक हिंसा की परिधि में आता है।

© Eureka Journals 2022. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

उदहारणः

- अपमान करना; या
- अपशब्द बोलना; या
- चरित्र और आचरण पर दोषारोपण करना; या
- पुत्र न होने पर अपमानित करना; या
- दहेज इत्यादि न लाने पर अपमानित; या
- नौकरी करने से निवारित करना; या
- नौकरी छोड़ने के लिये दबाव डालना; या
- घटनाओं के सामान्य क्रम में किसी व्यक्ति से मिलने से रोकना; या
- विवाह नहीं करने की इच्छा पर विवाह के लिये विवश करना; या
- पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से रोकना; या
- किसी विशेष व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश करना; या
- आत्महत्या करने की धमकी देना; या
- कोई अन्य मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार इत्यादि।

आर्थिक दुरुपयोग

किसी भी वित्तीय या आर्थिक संसाधनों का, जिसका उपभोग करने के लिए महिला विधिक रूप से हकदार है या स्त्रीधन या संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति इत्यादि से महिला को वंचित करना आर्थिक हिंसा माना जायेगा। अर्थात् कोई भी ऐसी संपत्ति, जिसमे महिला का मालिकाना हक हो, उसे बेचना, उसका मालिकाना हक समाप्त करना, उसे सुविधाओं से वंचित करना या उसको उपभोग में बाधा उत्पन्न करना इत्यादि कृत्य इसके अंतर्गत आते हैं।

उदहारणः

- बच्चों के अनुरक्षण के लिये धन उपलब्ध न कराना; या
- बच्चों के लिए खाना, कपड़े और दवाइयॉ उपलब्ध न कराना; या
- रोजगार चलाने से रोकना अथवा उसमें बाधा उत्पन्न करना; या
- रोजगार करने के अनुज्ञात न करना; या
- वेतन या पारिश्रमिक इत्यादि से प्राप्त आय को ले लेना; या
- वेतन या पारिश्रमिक उपभोग करने को अनुज्ञात न करना; या
- घर से निकलने को विवश करना आदि।

© Eureka Journals 2022. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

दहेज या किसी मूल्यवान संपत्ति की अविधिक दृष्टि से मांग करना, इस सम्बन्ध में महिला को क्षति पहुँचाना या उसका उत्पीड़न करना, उसके रिश्तेदारों को धमकाने की दृष्टि से महिला का उत्पीड़न करना भी घरेलू हिंसा की परिधि में आता है।घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित महिला किसी भी पुरुष के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकती है जिसके साथ वह घरेलू-सम्बन्ध में रही हो या रहती हो। शादीशुदा महिला या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला अपने पति या लिव-इन-पार्टनर या उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकती है। रिश्तेदारों में पुरुष एवं महिला रिश्तेदार दोनों सम्मिलित हैं। घरेलू हिंसा में सम्मिलित व्यक्ति को प्रत्यर्थी या प्रतिवादी कहा जाता हैं।

घरेलू हिंसा की शिकायत का अधिकार केवल पीड़ित महिला को ही नहीं है, बल्कि उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति जैसेः उसके रिश्तेदार, सामाजिक-कार्यकर्ता, गैर-सरकारी संगठन, पड़ोसी आदि शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि घरेलू हिंसा की घटना घटित हो चुकी हो। यदि किसी को यह आशंका मात्र ही है कि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा की जा सकती है तो वह भी शिकायत दर्ज करवा सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है, साथ ही हेल्पलाइन न. 1091 पर कॉल करके भी इसकी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। घरेलू हिंसा की शिकायत किसी भी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट और सेवा-प्रदाता के समक्ष की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम के क्रियान्वयन में समय-समय पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय पारित किये है, जो निम्नलिखित है-

एस.आर. बत्रा बनाम तरुणा बत्रा[1]

उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में अधिनियम के कुछ प्रावधानों का निर्वचन करते हुए "साझा-घर" को परिभाषित किया। उनके अनुसार "साझा-घर" में एक ऐसा घर शामिल है, जहां पीड़ित व्यक्ति रहता हो अथवा जीवन की किसी अवस्था में घरेलू-रिश्तों में रह चुका हो। न्यायालय ने धारा 17 (1), धारा 2 (एस) का अवलोकन करते हुए कहा कि पत्नी केवल साझा-घर में निवास के अधिकार का दावा करने की हकदार है और एक "साझा-घर" से तात्पर्य केवल उस घर से लिया जाता है जो पति द्वारा किराए पर लिया गया हो या उसी का हो या वह घर, जो संयुक्त परिवार से संबंधित हों, जिसमें पति भी एक सदस्य के रूप में हो। न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा और न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू की पीठ ने धारा 19(1)(एफ) का निर्वचन करते हुए कहा कि 'वैकल्पिक-आवास' के लिए केवल पति के विरुद्ध ही दावा किया जा सकता है, पति के ससुराल वालों या अन्य रिश्तेदारों के विरुद्ध ऐसा दावा पोषणीय नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया कि पत्नी अपनी सास की सम्पत्ति में आवास के अधिकार का दावा नहीं कर सकती है।

[1]Appeal (civil) 5837 of 2006

© Eureka Journals 2022. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

डीवेलु सामी बनाम डी पच्चीमाला[2]

- उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की धारा 2(एफ) में परिभाषित 'घरेलू संबंध' शब्द का निर्वचन करते हुए कहा कि 'घरेलू-सम्बन्ध' में न केवल विवाह के संबंध, अपितु 'विवाह की प्रकृति' के संबंध भी अंतर्निहित हैं।'विवाह की प्रकृति के संबंध' को घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर की पीठ ने कहा कि 'लिव-इन रिलेशनशिप' 'विवाह की प्रकृति के संबंध' नहीं होंगे यदि वह निम्नलिखित विवाह की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते है। आवश्यकताएं निम्नवत् है-
- पति-पत्नी के रूप में रह रहे दोनों पक्ष स्वयं को जीवनसाथी के रूप में समाज में प्रस्तुत करना चाहिए।
- शादी करने की विधिक अहर्ता(आयु आदि) पूर्ण होना चाहिए।
- उन्हें अविवाहित होने सहित अन्य प्रकार से विधिपूर्ण विवाह में प्रवेश करने योग्य होना चाहिए।
- उन्होंने स्वेच्छा से सहवास किया हो और पर्याप्त अवधि के लिए जीवनसाथी के रूप में स्वयं को सामाजिक परिदृश्य में प्रस्तुत किया हो।
- इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों को एक साथ 'साझा घर' में रहना चाहिए।

मात्र वीकेंड एक साथ बिताना या वन नाइट स्टैंड 'घरेलू संबंध' की श्रेणी में नहीं आते है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक 'रखैल' होती है, जिसे वह वित्तीय रूप से भरण-पोषण देता है और मुख्य रूप से यौन उद्देश्य के लिए उसका उपभोग करता है या एक नौकर के रूप में उपयोग करता है, तो ऐसे संबंध भी 'विवाह की प्रकृति के संबंध' की कोटि में नहीं आयेंगे।

संध्या मनोज वानखड़े बनाम मनोज भीमराव वानखडे[3].

अधिनियम की धारा 2(क्यू) में ''प्रतिवादी'' शब्द का निर्वचन करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पति या पुरुष साथी की महिला रिश्तेदारों को शिकायत की परिधि से बाहर नहीं रखा गया है। 'विवाह की प्रकृति' के रिश्ते में रहने वाली पीड़ित पत्नी या महिला, पति या पुरुष साथी के किसी रिश्तेदार के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकती है। न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति जोसेफ की पीठ ने स्पष्ट किया कि धारा 2(क्यू) 'प्रतिवादी' शब्द को केवल किसी भी वयस्क पुरुष के रूप में परिभाषित करती है, जो कि पीड़ित व्यक्ति के साथ घरेलू संबंध में है या रह चुका है। पति या पुरुष साथी के रिश्तेदार को शकियत की परिधि में शामिल कर (जो विवाह की प्रकृति के रिश्ते में रहने वाली

[2]CRIMINAL APPEAL NOS. 2028-2029OF 2010 [Arising out of Special Leave Petition (Crl.) Nos.2273-2274/2010]
[3]CRIMINAL APPEAL No.271 OF 2011 (Arising out of SLP (Crl.) No.2854 of 2010)

© Eureka Journals 2022. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

पीड़ित पत्नी या महिला ने दर्ज कराई है) उक्त परिभाषा की परिधि को विस्तृत करती है। यदि विधानमण्डल का आशय महिलाओं को शिकायत की परिधि से बाहर रखने का होता तो महिलाओं को विशेष रूप से बाहर रखा जाता है। यहाँ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि पति या पुरुष साथी के किसी रिश्तेदार के विरुद्ध भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।''रिश्तेदार'' शब्द को सीमित अर्थों में परिभाषित नही किया गया है, न ही उक्त शब्द को अधिनियम में केवल पुरुषों तक सीमित किया किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त प्रावधानों के अंतर्गत की जा सकने वाली शिकायत की परिधि से महिला रिश्तेदारों को बाहर रखने का विधायिका का आशय कदापि नहीं था।

''इंद्र रमा बनाम वीकेवी सरमा[4]

प्रस्तुत प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के समक्ष दो तथ्य थे-

1. ''लिव-इन रिलेशनशिप'' घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2(एफ) ''घरेलू-संबंध'' की परिभाषा के अंतर्गत ''विवाह की प्रकृति के संबंध'' जैसा होगा; और
2. ऐसे संबंध में जुड़ी महिला के भरण-पोषण में विफल रहने पर संबध-विच्छेद होने को घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 3 के अर्थ में ''घरेलू हिंसा'' की श्रेणी में रखा जाएगा?

न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति पिनाकी चन्द्र घोष की पीठ ने लिव-इन रिलेशनशिप ''विवाह की प्रकृति में संबंध'' के अंतर्गत परीक्षण के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये-

- संबंध की अवधि;
- साझा-घर;
- संसाधनों और वित्तीय व्यवस्थाओं की आपस में साझेदारी;
- घरेलू-सम्बन्ध;
- यौन-संबंध;
- बच्चे;
- सार्वजनिक स्तर पर सामाजिकरण;पक्षों का इरादा और आचरण।

ललिता टोप्पो बनाम झारखंड राज्य[5]

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक लिव-इन पार्टनर घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के प्रावधानों के अंतर्गत भरण-पोषण की मांग कर सकता है। झारखंड उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 125 उस महिला को भरण-पोषण प्रदान नहीं करती है, जिसने

[4]CRIMINAL APPEAL No.2009 OF 2013 (SPECIAL LEAVE PETITION (Crl.) NO.4895 OF 2012)
[5]CRIMINAL APPEAL NO(S). 1656/2015

© Eureka Journals 2022. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

विधिक रूप से उस व्यक्ति के साथ विवाह नहीं किया हो। घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह अधिनियम याचिकाकर्ता द्वारा इस मामले में भरण-पोषण की मांग करने के लिए एक प्रभावशाली उपाय होगा, तब भी जबकि कि वह विधिक रूप से पत्नी नहीं है और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण की हकदार नहीं हैं। यह भी कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आर्थिक दुरुपयोग भी घरेलू हिंसा में शामिल है।

कृष्णा भट्टाचार्जी बनाम सारथी चौधरी[6]

प्रस्तुत प्रकरण में न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पंत की पीठ ने कहा कि एक बार विवाह-विच्छेद का आदेश पारित हो जाने के बाद पक्षकारों की स्थिति अलग हो जाती है, लेकिन न्यायिक-विच्छेद के आदेश में ऐसा नहीं होता है। न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत के आदेश में कहा गया है कि चूंकि दोंनों पक्षों का न्यायिक-विच्छेद हो चुका है, इसलिए पत्नी को ''पीड़ित व्यक्ति'' का दर्जा नहीं दिया जा सकता, स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

हीरालाल पी हरसोरा और अन्य बनाम कुसुम नरोत्तमदास हरसोरा और अन्य[7]

उच्चतम न्यायालय ने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2 (क्यू) में ''व्यक्ति'' शब्द से पहले ''वयस्क पुरुष'' शब्द को समाप्त कर दिया। जिसमें कहा गया था कि ये शब्द समान रूप से स्थित व्यक्तियों के बीच भेदभाव करते हैं और अधिनियम द्वारा अपेक्षित उद्देश्यों के विपरीत हैं। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन की पीठ ने कहा कि यदि ''प्रतिवादी'' को केवल एक वयस्क पुरुष व्यक्ति के रूप में पढ़ा जाना है तो यह स्पष्ट है कि जो महिलाएं पीड़ित व्यक्ति को अलग करती हैं या घर से बाहर निकालती हैं, वे इसकी परिधि में नहीं आती हैं और यदि है तो अधिनियम के उद्देश्य को एक वयस्क पुरुष व्यक्ति द्वारा स्वयं सामने न आकर किसी महिला को समाने करके पीड़ित व्यक्ति को घर से बाहर किया जा सकता है या अलग किया जा सकता है और इस प्रकार अधिनियम के उद्देश्यों का आसानी से पराजित किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह भी संभव है कि एक अवयस्क सदस्य, घरेलू हिंसा के कृत्यों में सहायता कर सकता है या जो पीड़ित को साझा घर से बाहर निकालने या बेदखल करने मदद कर सकता है।

अजय कुमार बनाम लता/ शारुती और अन्य (2019)[8]

उच्चतम न्यायालय ने घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश, जिसमें एक विधवा को भरण-पोषण का भुगतान करने के लिए देवर को निर्देश दिया गया था, निर्णय को यथावत् बनाये रखा।

[6]CRIMINAL APPEAL NO. 1545 OF 2015(SLP(Crl) No. 10223 OF 2014)
[7]CIVIL APPEAL NO. 10084 of 2016 (ARISING OUT OF SLP (CIVIL) NO. 9132 OF 2015)
[8]CRIMINAL APPEAL NO(S). 617 OF 2019 (@SLP(Crl.) No(s). 652 of 2019)

© Eureka Journals 2022. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

महिला और उसका मृतक पति एक ऐसे घर में रहते थे, जो पैतृक हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति की श्रेणी में आता था। मृतक पति और भाई संयुक्त रूप से एक किराना दुकान का व्यवसाय करते थे। महिला ने घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज की। जिसमें आरोप लगाया गया कि पति की मृत्यु के बाद उसे और उसके बच्चे को अपने वैवाहिक घर में नहीं रहने दिया गया। विचारण न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें महिला को 4,000 रुपए और बच्चे को 2,000 रुपए मासिक की सहायता प्रदान की गई। देवर को उक्त राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया था। देवर की इस दलील को खारिज कर दिया गया कि उसके विरुद्ध भरण-पोषण का आदेश पारित करने का कोई प्रावधान नहीं है। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि धारा 2(क्यू) का मूल भाग यह दर्शाता है कि ‘‘प्रतिवादी‘‘ का अर्थ किसी भी वयस्क पुरुष व्यक्ति से है, जो पीड़ित व्यक्ति के साथ घरेलू संबंध में है या रहा है और जिसके विरुद्ध मदद मांगी गई है।‘‘

महिलाएं आज भी बड़ी संख्या में घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं। पितृसत्तात्मक समाज का ताना-बाना घर से लेकर पुलिस थाने और कचहरी तक ऐसा है कि महिला हर जगह पीड़ित बनकर ही रह जाती है। घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज न उठाने के पीछे सबसे बड़ा कारण उनका आर्थिक रूप से किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहना और घर छिन जाने का डर होता है। वर्ष 2005 से पहले घरेलू हिंसा से लड़ने के नाम पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-क और 304-ख थी जो कि क्रूरता और दहेज-हत्या से महिलाओं का संरक्षण करती थीं। लेकिन इनका क्रियान्वयन कई कारणों से नहीं हो पाता था।यही कारण था कि विभिन्न प्रकार की घरेलू हिंसा की घटनाएं सामाजिक पटल पर परिलक्षित नहीं हो पाती थीं। परिणाम स्वरूप घरों के अंदर महिलाओं के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा न सिर्फ नजरअंदाज होती रही बल्कि साल दर साल महिलाएं अपनी जान से हाथ धोती रहीं। वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम महिलाओं और महिला अधिकारों पर काम कर रहे संगठनों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया और इस अधिनियम को प्रगतिशील अधिनियम की संज्ञा से नवाजा भी गया। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा अधिनियम के अंदर महिलाओं के साथ लगभग सभी प्रकार की हिंसा को न सिर्फ परिभाषित किया गया है बल्कि समस्या के अनुरूप घर के अंदर सुरक्षा का अधिकार, निवास का अधिकार जैसी राहतों को शामिल किया गया है। समय-समय पर न्यायालय का भी इस अधिनियम के निर्वचन में विशेष योगदान रहा है।